

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

प्रार्थना-पत्र सं. 37/23	धारा अंतर्गत 53,188 RTA	ग्राम मेलखेडी	तहसील बारां
वादी बद्रीबाई	वाद शीर्षक बनाम	प्रतिवादी अनिल वगै०	

वकील :- श्री दुल्हे सिंह गौड एड०  
कार्यवाही एवं आदेश  
वकील:-  
विविध संदर्भ

दिनांक	विविध संदर्भ
04.07.2023	अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी. एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी के न्याया० में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जर्ज सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 10.08.2023 को पेश हो। <i>W</i>
10-8-23	गैठसीन अधिकारी <i>...</i> में रहने से पूर्ववत दिनांक 3-10-23 को प्रस्तुत की। <i>...</i> उप खण्ड अधिकारी बारां
5-10-23	गैठसीन अधिकारी <i>...</i> में रहने से पूर्ववत दिनांक 28-10-23 को प्रस्तुत की। <i>...</i> उप खण्ड अधिकारी बारां
28-11-23	गैठसीन अधिकारी <i>...</i> में रहने से पूर्ववत दिनांक 23-1-24 को प्रस्तुत की। <i>...</i> उप खण्ड अधिकारी बारां
23-1-24	गैठसीन अधिकारी <i>...</i> में रहने से पूर्ववत दिनांक 1-2-24 को प्रस्तुत की। <i>...</i> उप खण्ड अधिकारी बारां
1-2-24	पत्रावली आज पेश है। वकील वादी उक्त प्रतिवादी की तलवी देते तलवाजा पेश है। पत्रावली गौड तलवी दिनांक 18-3-24 को पेश है। <i>...</i>
18-3-24	गैठसीन अधिकारी <i>...</i> में रहने से पूर्ववत दिनांक 9-5-24 को प्रस्तुत की। <i>...</i> उप खण्ड अधिकारी बारां
31/5/24	गैठसीन अधिकारी <i>...</i> में रहने से पूर्ववत दिनांक 28/6/24 को प्रस्तुत की। <i>...</i>

